हरि प्रसाद छापोलिया (मृतक)

बनाम

भारत संघ

(आपराधिक अपील संख्या 82/2002)

20 जून, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और जी. एस. सिंघवी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 394, पर- तुक -अपीलकर्ता की मृत्यु पर उपशमन- रिश्तेदार द्वारा अपील जारी रखने की अनुमति- में देरी- का प्रभाव- तथ्यों पर, गोल्ड एक्ट के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई- अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता की मृत्यु- वकील के अनुरोध पर सम्बन्धी को प्रतिस्थापित करने की अनुमति के लिए मामला कई बार स्थगित हुआ- एक वर्ष बाद प्रतिस्थापन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया- प्रस्तुतिकरण में देरी का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया -माना गयाः अपील रद्द होगी- गोल्ड (नियंत्रण) अधिनियम, 1968

धारा 394-सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करने की प्रयोज्यता लागू।

अपीलकर्ता को विचारणीय न्यायालय द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और गोल्ड नियंत्रण अधिनियम, 1968 के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और गोल्ड अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को यथावत् रखा।

अपीलकर्ता ने लीव टू अपील दायर की जिसे इस न्यायालय ने दिनांक 17.01.2002 के आदेश द्वारा मंजूर कर लिया। जब ये उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई है तो मामले को 12.06.2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मामले को फिर से स्थगित कर दिया गया और 25.10.2007 को मृतक अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से वकालतनामा और उपस्थिति ज्ञापन दाखिल करने के लिए वकील को छह सप्ताह का समय दिया गया। मृत अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। 04.01.2008 को देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रतिस्थापन के लिए आवेदन दायर किया गया। देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन में एकमात्र आधार यह बताया गया था कि अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पिता की मृत्यु के बारे में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन तैयार करने और दाखिल करने के लिए वकील को सूचित करना होगा और जब उन्हें पता चला इस आवश्यकता के बारे में उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया और आवेदन दायर किया।

प्रतिवादी ने कहा कि आवेदन स्वीकार करने की यहां पर कोई गुंजाईश नहीं है कि धारा 394 सीआरपीसी उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए कोई आवेदन नहीं है, किसी भी स्थिति में वैधानिक रूप से निर्धारित समय तीस दिन है और आवेदन अपीलकर्ता की मृत्यु के लगभग एक वर्ष बाद दायर किया गया है और विलंबित आवेदन के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है और इसलिए तीस दिन की अवधि से अधिक देरी को माफ करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया है कि-

1. धारा 394 सीआरपीसी में यह पढता है कि प्रत्येक अपील अंततः अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। उस धारा के प्रावधान में कहा गया है कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मौत की सजा या कारावास की सजा के खिलाफ है और अपीलकर्ता की मृत्यु अपील के लंबित रहने के दौरान हो जाती है तो किसी रिश्तेदार की अभिव्यक्ति संलग्न स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित की जाती है। यह प्रावधान अपीलकर्ता की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर अपील जारी रखने की अनुमति के लिए अपीलीय अदालत में लागू हो सकता है और यदि लीव स्वीकार की जाती है तो अपील समाप्त नहीं होगी। (पैरा 5) (68- बी और सी)

2. धारा 394 सीआरपीसी के सन्निहित सिद्धांत में इस न्यायालय के समक्ष अपील की सेवा में प्रयोग में लाया जा सकता है। यह सच है कि कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन करने के लिए वैधानिक रूप से तीस दिन की अवधि तय की गई है। हस्तगत मामले में, आवेदन लगभग एक वर्ष बाद दायर किया गया था। मूल अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए वकील के अनुरोध पर मामले को कई बार स्थगित किया गया। यह दलील कि कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यकता की जानकारी नहीं थी, स्पष्ट रूप से बिना किसी सार के है। अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त हो गई। (पैरा 7,8) (70 बी, सी और डी)

एस.वी. कामेश्वर राव और अन्य बनाम राज्य (ए.सी.बी. पुलिस करनूल जिला आन्ध्रप्रदेश) (1991) अनुपूरक 1 एससीसी 377- पर भरोसा किया।

ए.पी. राज्य बनाम एस. नरसिम्हा कुमार और अन्य (2006) 5 एससीसी 683 और हरनाम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1975) 3 एससीसी 343 निर्दिष्ट किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 82/2002

उच्च न्यायालय उडीसा, कटक के फौजदारी निगरानी संख्या 470/1994 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.09.2021 से

वी.के. मोंगा अपीलार्थी की ओर से

पी.पी. मल्होत्रा, ए.एस.जी. विकास शर्मा, बी.वी. बलराम दास और सी.वी. सुब्बा राव प्रतिवादीगण की ओर से

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

डा. अरिजित पसायत जे.

1. यह अपील उड़ीसा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की शुद्धता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। अपीलकर्ता हरिप्रसाद छापोलिया को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 (बी) (1) (संक्षेप में सीमा शुल्क अधिनियम) और धारा 85 (ii) (iii) (viii) और (ix) गोल्ड (नियंत्रण) अधिनियम 1968 (संक्षेप में गोल्ड अधिनियम) के तहत दण्डनीय अपराधों के लिए विचारणीय अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 (बी) (1) (2) के तहत दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया तथा गोल्ड अधिनियम की धारा 85 के लिए सजा को यथावत रखा। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.2002 के आदेश द्वारा लीव स्वीकार की गई थी। प्रकरण दिनांक 07.06.2007 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जब अपीलकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, मामले को 12.06.2007 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब यह उल्लेख किया गया कि अपीलकर्ता हरि प्रसाद छापोलिया की मृत्यु हो गई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील निर्देश लेना चाहते थे और इसलिए मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। मामला 17.07.2007 को सूचीबद्ध किया गया था। जब अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रार्थना पर मामले को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। 29.08.2007 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

अपीलकर्ता के वकील ने समय की मांग की। आदेशिका से यह स्पष्ट है कि 12 जून 2007 को मामले को अवकाशीय पीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए बुलाया गया था। उस समय यह कहा गया था कि अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। तदानुसार मामले को स्थगित कर दिया गया। फिर से मामला 17 जुलाई 2007 को रखा गया और उस दिन को भी मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश पारित किया गया। आज भी अपीलकर्ता के विद्वान वकील समय की प्रार्थना करते है। अंतिम मौके के तौर पर मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।

2. 25.10.2007 को मृतक अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से वकालतनामा और उपस्थिति ज्ञापन दाखिल करने के लिए वकील को छह सप्ताह का समय दिया गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस समय तक मृत अपीलकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लाने के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था। पुनः 11.12.2007 को मृत अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील के अनुरोध पर मामले को एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। 11.06.2008 को, अनुरोध पर मामले को आज सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि देरी की माफी के लिए आवेदन के साथ अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकार्ड पर लाने के लिए प्रतिस्थापन के लिए 04.01.2008 को एक आवेदन दायर किया गया है। माफी मांगने वाले आवेदन में एक मात्र आधार यह बताया गया था कि अपीलकर्ता की कानूनी उत्तराधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पिता की मृत्यु के बारे में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन तैयार करने और दाखिल करने के लिए दिल्ली में वकील को सूचित करना होगा। जैसे ही उन्हें इस आवश्यकता के बारे में पता चला उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया और 04.01.2008 को आवेदन दाखिल किया। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 394 (संक्षेप में संहिता) आवेदन स्वीकार करने की कोई

गुंजाईश नहीं है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के लिए कोई आवेदन नहीं है। किसी भी स्थिति में वैधानिक रूप से निर्धारित समय तीस दिन है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता हरि प्रसाद छापोलिया की मृत्यु के लगभग एक वर्ष बाद आवेदन दायर किया गया है। इसमें यह भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि आवेदन इतने लंबे समय के बाद क्यों दायर किया गया। तदानुसार उन्होंने प्रस्तुत किया कि तीस दिनों की अवधि से अधिक देरी को माफ करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

4. ए. पी. राज्य बनाम एस. नरसिम्हा कुमार और अन्य में (2006 (5) एससीसी 683) इस प्रकार नोट किया गयाः

> "6 बोंदादा गजपथि राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (ए आई आर 1964 एससी 1645) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ इस स्थति से निपट रही थी कि विशेष अनुमति द्वारा क्या कारावास की सजा के खिलाफ अपील अपीलकर्ता/अभियुक्त की मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। माननीय न्यायाधीशों द्वारा तीन अलग अलग निर्णय दिए गए। उक्त निर्णय से जो सिद्धांत निकाले जा सकते है वे इस प्रकार है (हालांकि पुराने कोड के संदर्भ में प्रतिपादित किये गये है, वे सीआरपीसी के तहत समान रूप से लागू है।)"

(1) पुराने कोड की धारा 431 भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में संविधान) के अनुच्छेद 136 के तहत दी गई सर्वोच्च न्यायाल की विशेष अनुमति के साथ दायर अपील के मामले में उचित शक्ति लागू नहीं करती है। जब अपीलकर्ता- अभियुक्त की अपील लंबित रहने तक मृत्यु हो जाती है।

(2) लेकिन वहां अपील जुर्माने की सजा के खिलाफ मृत अपीलकर्ता आरोपी के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा अपील जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अपीलों को निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि पुराने

कोड के तहत उत्पन्न होने पर उन्हें जारी रखा जा सकता है ऐसा कोई कारण नहीं है कि संविधान के तहत उत्पन्न होने पर उन्हें जारी नहीं रखा जाना चाहिए। यदि अभियुक्त की मृत्यु के बाद पुनरीक्षण याचिकाओ को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है तो अपील भी की जानी चाहिए, क्योंकि जारी रखने के उद्देश्य से उनके बीच सैद्धांतिक रूप में कोई अंतर संभव नहीं है।

(3) जिस सिद्धांत पर किसी अभियुक्त की मृत्यु के बाद कार्यवाही की सुनवाई जारी रखी जा सकती है, व उसके कानूनी प्रतिनिधियों के हाथों उसकी संपत्ति पर सजा का प्रभाव प्रतीत होता है। यदि सजा उस संपत्ति को प्रभावित करती है तो कानूनी प्रतिनिधियों को कार्यवाही में रूचि रखने वाला और इसे जारी रखने की अनुमति देने वाला कहा जा सकता है।

(4) लेकिन जहां सजा जुर्माने की नहीं बल्कि कारावास की है, जो अभियुक्त की मृत्यु पर निष्फल हो जाती है, सजा का मृतक अभियुक्त के कानूनी प्रतिनिधियों के हाथों की संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए ऐसे मामले में अपील अभियुक्त की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी।

(5) वास्तव में अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी था और मुकदमे के दौरान निलंबित था और यह तथ्य कि यदि दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया गया तो उसकी संपत्ति निलंबन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन प्राप्त करने की हकदार होगी, नहीं कहा जा सकता कि इससे उनकी संपत्ति पर असर पडेगा क्योंकि सजा को रद्द करने से कानूनी उत्तराधिकारी स्वचालित रूप से वेतन के हकदार नहीं हो जाएंगे। यह जुर्माने की सजा के मामले में लागू सिद्धांत का विस्तार होगा, यदि इसके आधार पर अपीलकर्ता की मृत्यु के बाद कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कारावास के खिलाफ अपील जारी रखने की अनुमति दी जाती है और इस तरह के विस्तार के लिए कोई वारंट नहीं है। प्रणब कुमार मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का संदर्भ दिया गया था।

5. एसवी कामेश्वर राव और अन्य बनाम राज्य (एसीबी पुलिस करनूल जिला, आंध्र प्रदेश) (1991 अनुपूरक (1) एससीसी 377) इसे अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार देखा गयाः

> "5 आपराधिक प्रक्रिया की धारा 394 में कहा गया है कि हर अपील अंततः अपीलकर्ता की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगी। उस धारा का प्रावधान कहता है कि जहां अपील किसी दोषसिद्धि और मौत या कारावास की सजा के खिलाफ है और अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है, अपील के लंबित रहने के दौरान उसका कोई भी रिश्तेदार, जिसकी अभिव्यक्ति इस परंतुक के साथ संलग्न स्पष्टीकरण द्वारा परिभाषित है, अपीलकर्ता की मृत्यु के तीस दिनों के भीतर अपील जारी रखने की अनुमति के लिए अपीलीय अदालत में आवेदन कर सकता है, और यदि अनुमति दी गई अपील समाप्त नहीं होगी। वर्तमान मामले में परंतुक के स्पष्टीकरण की अवधि के भीतर मृतक के किसी भी रिश्तेदार ने अपील जारी रखने की अनुमति के लिए तीस दिनों के भीतर इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया है। यह वर्तमान आवेदन लगभग 10 साल की अवधि बाद में दायर किया गया है। इस आवेदन में उस निर्धारित अवधि के भीतर अदालत तक पहुंचने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और 10 साल की ऐसी अनुचित और अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है। इस न्यायालय के निर्णय पीएसआर साधनानथम बनाम अरूणाचलम (एसीसी पृष्ठ 145 पैरा 7) पर उस याचिका में भरोसा किया गया है जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है।"

अनुच्छेद 136 एक विशेष क्षेत्राधिकार है। यह अवशिष्ट शक्ति है, यह अपने आयाम में असाधारण है, जब वह न्याय में पीछा करता है तो उसकी सीमा आकाश ही होती है।

6. हमाम सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (1975 (3) एससीसी 343 पैरा 7, 14 और 15) इसे इस प्रकार देखा गया।

7. हमारे समक्ष अपील संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दी गई विशेष लीव अनुमति द्वारा दायर की गई थी और यह न तो धारा 417 ए (2) के तहत है, न ही धारा 417 के तहत और न ही किसी अन्य संहिता के अध्याय के तहत है। इसलिए स्पष्ट रूप से, धारा 431 का कोई अनुप्रयोग नहीं है और यह प्रश्न कि क्या अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील समाप्त हो गई है, उस धारा की शर्तो द्वारा सख्ती से शासित नहीं है, लेकिन एकरूपता के हित में अनुच्छेद 136 के तहत अपीलों पर लागू करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है, नियमों का एक सेट उन नियमों से अलग है जो संहिता के तहत अपील को नियंत्रित करते है। इसलिए धारा 431 में निहित प्रावधान का सही अर्थ और दायरा खोजना आवश्यक है। 14. यदि यह धारा 431 की सही व्याख्या है तो कोई कारण नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में दायर आपराधिक अपीलों पर भी यही सिद्धांत लागू नहीं किया जाना चाहिए। तदानुसार मृत अपीलकर्ता की विधवा, जिसे उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपील के रिकार्ड पर लाया गया है, अपील जारी रखने की हकदार है क्योंकि जुर्माने की सजा सीधे उस संपत्ति को प्रभावित करती है जो उसके पति की मृत्यु पर उसे हस्तांतरित होगी।

15. बोंदादा गजपथि राव बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता धारा 302 दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में अपील दायर की लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बेटों और बेटी ने उनके कानूनी प्रतिनिधियों के रूप

में प्रतिस्थापन के लिए आवेदन किया था और तर्क दिया था कि उनके पिता की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से हटा दिया गया था और यदि दोषसिद्धि रद्द कर दी गई तो संपत्ति दोषसिद्धि की तारीख से वेतन के बकाया का दावा करने में सक्षम होगी। उनकी मृत्यु की तारीख इस न्यायालय ने कानूनी प्रतिनिधियों को इस आधार पर अपील जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि जिस दावे के आधार पर उन्होंने अपील जारी रखने की अनुमति मांगी थी वह बहुत दूर का था। यह निर्णय अलग है क्योंकि अपील किसी जुर्माने की सजा से नहीं थी और कानूनी प्रतिनिधियों के हित को प्रासंगिक माना गया न कि प्रत्यक्ष। भले ही दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया हो, कानूनी प्रतिनिधियों को अपने पिता के बकाया वेतन का स्वतः भुगतान नहीं मिलेगा।

7. उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है उसके मध्य नजर संहिता की धारा 394 में सन्निहित सिद्धांतों को इस न्यायालय के समक्ष अपील में लागू किया जा सकता है। यह सच है कि कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन करने के लिए वैधानिक रूप से तीस दिन की अवधि तय की गई है। मौजूदा मामलों में आवेदन लगभग एक साल बाद दायर किया गया था। हमें इस सवाल पर जाने की जरूरत नहीं है कि क्या देरी को माफ करने की गुंजाईश है क्योंकि देरी से प्रस्तुतिकरण के लिए कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया है।

8. मूल अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील के अनुरोध पर मामले को कई बार स्थगित किया गया है। यह दलील की कानूनी उत्तराधिकारियों को आवश्यकता की जानकारी नहीं थी, स्पष्ट रूप से बिना किसी तथ्य के है। अपीलकर्ता की मृत्यु पर अपील निरस्त कर दी गई है और तदानुसार निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी शंकरलाल मारू (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने
उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी
मान्य होगा।